अमिताभ वर्मा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना–800015
दूरभाष: 0612–2202229(का0), फैक्स: 0612–2200991
e-mail :- secy-panchayat-bih@nic.in

अ0स0 पत्रांक ..../

पटना, दिनांक ..../.........../2013

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार।
सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार।

विषयः **ग्राम पंचायत स्तर पर तंम्बाकू नियंत्रण कार्यकम के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA-2003) के प्रभावकारी अनुपालनं के संबंध में।**

महाशय,

तम्बाकू का उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बढ रहा है। तम्बाकू सेवन वर्तमान एवं भविष्य की आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी बढ़ती चिंता का विषय है। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (Global Adult Tobacco Survey-2009-10) के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में तम्बाकू सेवन से लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अच्छी बात यह है कि तम्बाकू के कारण होने वाले बीमारियों एवं मृत्यु को इसके सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कराकर नियंत्रित किया जा सकता है। बिहार के 54 प्रतिशत लोग (66 प्रतिशत पुरुष एवं 40 प्रतिशत महिला) तम्बाकू का सेवन करते है। जिसमें 5 प्रतिशत लोग धुम्रपान, 49 प्रतिशत सुघने या चबाने वाले तम्बाकू का सेवन करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव में तम्बाकू एवं अन्य तम्बाकू पदार्थ के सेवन, खासकर खैनी एवं बीड़ी का प्रचलन अत्यधिक है। आप अवगत हैं कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA-2003) के धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाले हजारों प्रकार की घातक बिमारियों यथा कैंसर, ह्रदय रोग एवं फेफड़ों आदि की बिमारी तथा असामयिक रोगों से संबंधित प्रचार–प्रसार को युक्तिसंगत तरीकों से लागू करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसके जन प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मियों के माध्यम से आम जन को जागरूक करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार एवं सोशियो इकोनोमिक एण्ड एड्डुकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाईटी (सीड्स) राज्य के विभिन्न जिलों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संयुक्त रूप से संचालित कर रही है। तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को अपने–अपने जिले में सख्ती से सभी पंचायतों में अनुपालन करवाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावकारी कार्यान्वयन में पंचायत राज प्रतिनिधियों एव कर्मियों की अहम भूमिका है।

उन पंचायतों की सूची जिसे पचायत द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया हो, को अधोहस्ताक्षरी के सूचनार्थ भेजने का कष्ट करें एवं इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार के दूरभाष संख्या–9473197722 या E-mail :

F:\PD DO letter to All DMs & DDCs related to TOBACCO Control - 02.09.2013.doc

ntcpbihar@gmail.com एवं सोशियो इकोनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाईटी (सीड्स) को भी दिया जा सकता है। इस संबन्ध में किसी भी तरह की तकनीकी जानकारी के लिए सीड्स के प्रतिनिधि से दूरभाष संख्या –0612 –2545012/9431094833 या E-mail : seedsbihar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित करते हुए धूम्रपान निषेध का निर्धारित बोर्ड को प्रदर्शित किया जाना है। धूम्रपान निषेध बोर्ड का प्रारुप निम्न है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है:–

Section 4 signage

अतः अनुरोध है कि ग्राम पंचायत स्तर के सभी सार्वजनिक स्थानों यथा–पंचायत भवन, चौपाल, ऑगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, पैक्स कार्यालय, ग्राम कचहरी, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं प्रमुख चौक पर धूम्रपान निषेध का निर्धारित बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स अथवा दीवार लेखन का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह०/–

प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग बिहार, पटना

ज्ञापांक – .... पटना, दिनांक ..../......../2013

प्रतिलिपि :– सभी **जिला पदाधिकारी**, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि अपने मासिक बैठक में उक्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

ह०/–

प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग बिहार, पटना

3

ज्ञापांक – .... पटना, दिनांक ..../......../2013

प्रतिलिपि :– सभी जिला परिषद अध्यक्ष/प्रखंड प्रमुख/मुखिया/सरपंच को सूचनार्थ प्रेषित एव अनुरोध है कि अपने मासिक बैठक में उक्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

ह०/–

प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग बिहार, पटना

ज्ञापांक – 9भ/प्र०3-3018/2011-6366 पटना, दिनांक 03/09/2013

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक संशियो इकौनोमिक एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेण्ट सोसाईटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग बिहार, पटना